

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफरान अहमद
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक01.03. 2021

विषय— विभिन्न सेवाओं/संवर्गों के पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु उम्मीदवारों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त (Character and antecedents) सत्यापन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2401 दिनांक-18.07.2007 एवं उसके क्रम में संकल्प ज्ञापांक-1003 दिनांक-22.01.2021 द्वारा संविदा पर नियोजन की शर्तें एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

2. विदित हो कि बिहार सरकार में स्वच्छ छवि के पदाधिकारी/कर्मचारी की नियमित नियुक्ति हो सकें, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-1859 दिनांक-08.07.2006 द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन का प्रावधान किया गया है। अभिलेखों की जाँच के क्रम में एतदर्थ निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित सूचनाएँ अनुशंसित अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अंकित की जानी होती है।

3. सरकारी सेवकों की नियमित नियुक्ति में निर्धारित प्रक्रिया के समरूप विभिन्न सेवाओं/संवर्गों के पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों के लिए भी चरित्र एवं पूर्ववृत्त (Character and antecedents) सत्यापन कराने संबंधी प्रावधान किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन था।

4. प्रासंगिक मामले में सम्यक् विचारोपरान्त विभिन्न सेवाओं/संवर्गों के पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त (Character and antecedents) सत्यापन के संदर्भ में निम्नांकित निर्णय लिया गया है—

(क) संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों से चरित्र एवं पूर्ववृत्त (Character and antecedents) सत्यापन के लिए पूर्ण एवं सही सूचनाएँ संलग्न विहित सत्यापन प्रपत्र में प्राप्त किया जायेगा। सत्यापन प्रपत्र संबंधित कर्मी द्वारा स्वयं भरा जायेगा। किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध दायर आपराधिक

मामले की सूचना उसके द्वारा सत्यापन प्रपत्र में सही-सही अंकित किया जायेगा।
ऐसी सूचना छुपाया जाना संबंधित कर्मों का कदाचार माना जायेगा।

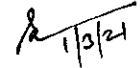
(ख) अनुशासित अभ्यर्थियों से प्राप्त चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र को सत्यापन हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से पुलिस/अपराध अनुसंधान विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ग) संबंधित एजेंसी से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र सत्यापित होकर प्राप्त होने के उपरान्त ही सक्षम नियुक्ति प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर संविदा नियोजन की कार्रवाई की जा सकेगी। इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-6831 दिनांक-23.07.2020 द्वारा परिचारित निदेशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

6. कृपया उपर्युक्त अनुदेशों से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-सत्यापन प्रपत्र।

विश्वासभाजन



(गुफुरान अहमद)

सरकार के उप सचिव।

सत्यापन प्रपत्र

फोटो चिपकाएँ

(पासपोर्ट आकार की एक
अद्यतन हस्ताक्षरित फोटो प्रति)

चेतावनी

1. इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना अथवा वास्तविक तथ्य छुपाये जाने को अयोग्यतामाना जायेगा तथा तदनुसार अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।
2. यदि इस प्रपत्र को पूरा करने व प्रस्तुत किए जाने के बाद अभ्यर्थी को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया हो, उस पर अर्थदंड लगाया गया हो, उस पर कोई दोषारोपण हो, बहिष्कृत किया गया हो अथवा उसे दोष-मुक्त आदि किया गया हो तो इस आशय की सूचना तत्काल उस अधिकारी को भेजी जाए, जिसे यह सत्यापन प्रपत्र भेजा गया है। ऐसा न किये जाने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य छुपा रहा है।
3. यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है या स्वाभाविक तथ्यों को छुपाया है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

(1) उपनामों सहित, यदि कोई हो, पूरा नाम (यदि आपने कभी अपने नाम अथवा कुलनाम, में अंशतः कुछ जोड़ा अथवा निकाला हो तो विनिर्दिष्ट करें)

(2) वर्तमान पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं०, गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर

(3) (क) घर का पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं०, गली/स्ट्रीट/सड़क व शहर और जिला मुख्यालय का नाम

(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान/बंगलादेश (पूर्व पूर्वी पाकिस्तान) का निवासी है तो उस देश में रहने का पता तथा वहाँ से भारत आने की तारीख का उल्लेख करें।

8

4. गत पाँच वर्षों के दौरान उन स्थानों के ब्योरे दें (आवास-अवधि सहित) जहाँ आपने एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया हो। 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में एक वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो तो उन सभी स्थानों के भी ब्योरे प्रस्तुत करें।

से	तक	आवास का पूरा पता (गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं०, गली/स्ट्रीट/सड़क व शहर और जिला मुख्यालय)	पूर्व का कॉलम में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम
1	2	3	4

5.

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	व्यवसाय (यदि सेवारत हैं तो पदनाम व कार्यालय का पता लिखें)	पत्राचार का वर्तमान पता (दिवंगत होने की स्थिति में अंतिम पता)	घर का स्थायी पता
1	2	3	4	5	6
(क) पिता (उपनामों सहित यदि कोई हो) (ख) माँ (ग) पत्नी/पति (घ) भाई (ङ) बहन/बहनें।					

6. उस पुत्र/पुत्रों और पुत्री/पुत्रियों के बारे में सूचना दे जो विदेश में रह रहे हैं:-

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	जिस देश में पढ़ रहे/रह रहे हैं, उसका पूरा पता	पूर्व का कॉलम में उल्लिखित देश में कब से पढ़ रहे/रह रहे हैं
1	2	3	4	5

7. राष्ट्रीयता (क) जन्म तिथि (ख) वर्तमान आयु (ग) मैट्रिकुलेशन के प्रमाण पत्र में दी गई आयु	(क) (ख) (ग)
8. (क) जिले व राज्य का नाम सहित जन्म स्थान (ख) आप किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं। (ग) आपके पिता मूलतः किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं।	(क) (ख) (ग)
9. (क) आपका धर्म (ख) क्या आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ी जाति से सम्बद्ध हैं। जिससे संबंध हों, उसका नाम लिखें।	

10. 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की है, तारीख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखें।

पूरे पते सहित स्कूल/कॉलेजों के नाम	स्कूल/कॉलेजों में प्रवेश की तारीख	स्कूल/कॉलेजों में छोड़ने की तारीख	कौन सी परीक्षा पास की

11. (क) क्या आप केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्द्ध सरकारी निकाय, अथवा स्वायत्त निकाय अथवा लोक उपक्रम अथवा निजी कर्म अथवा संस्थान में सेवारत रह चुके हैं। यदि हाँ तो सेवा की तारीख सहित पूर्ण अद्यतन ब्यौरा दें।

अवधि से तक	पदनाम, वेतन तथा सेवा की प्रकृति	नियोक्ता का पूरा नाम व पता	पूर्व सेवा छोड़ने के कारण

✓

(ख) क्या पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार/किसी उपक्रम में स्वामित्वाधीन अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/विश्वविद्यालय/स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन थी।

(ग) क्या आपने एक माह के नोटिस पर कभी सेवा छोड़ी थी? क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी है? क्या नोटिस दिए जाने अथवा सेवा समाप्त किए जाने से पूर्व बाद की तारीख में आपसे स्पष्टीकरण माँगा गया।

12. (i)	(क) क्या आपको गिरफ्तार किया है?	हाँ/नहीं
	(ख) क्या कभी आप पर मुकदमा चला है?	हाँ/नहीं
	(ग) क्या कभी आपको हिरासत में रखा गया है?	हाँ/नहीं
	(घ) क्या कभी आपको नजरबन्द किया गया है?	हाँ/नहीं
	(ङ) क्या किसी विधि न्यायालय ने आप पर कभी अर्थदंड डाला है?	हाँ/नहीं
	(च) क्या कभी किसी विधि न्यायालया ने किसी अपराध के लिए आपको दोषी सिद्ध किया है?	हाँ/नहीं
	(छ) क्या कभी किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण /संस्थान ने आपको किसी परीक्षा में बैठने से रोका है अथवा बहिष्कृत किया है?	हाँ/नहीं
	(ज) क्या कभी किसी लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी किसी परीक्षा/चयन से आपको बहिष्कृत/अयोग्य घोषित किया है?	हाँ/नहीं
	(झ) क्या वह सत्यापन प्रपत्र भरने के समय किसी विधि न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित है?	हाँ/नहीं
	(ञ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरते समय किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है?	हाँ/नहीं
	(ट) क्या सरकार के नियंत्रणाधीन अथवा अन्य किसी प्रशिक्षण संस्थान से आपको कार्यमुक्त किया गया/बहिष्कृत किया गया/गया?	हाँ/नहीं

(ii) यदि यह प्रपत्र भरते समय उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो उसे मुकदमे/गिरफ्तारी/ हिरासत अर्थदंड/ दंडादेश/सजा आदि के बारे में और/ अथवा किसी न्यायालय/ विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि में लंबित मुकदमों की प्रकृति के पूर्ण ब्यौरे दें।

(iii) नोट:— (क) कृपया इस प्रपत्र के 'प्रारम्भ' में लिखी चेतावनी को भी देखें।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट उत्तर 'हाँ' अथवा 'नहीं' जैसा भी मामला हो, काट कर दिया जाय।

13. अपने क्षेत्र के ऐसे दो व्यक्तियों के नाम अथवा हवाले लिखें जो आपको जानते हों।

1.

2.

14. मैं सत्यनिष्ठा से घोषित करता/करती हूँ कि मेरे मात्र एक जीवित पत्नी/पति है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी तथा विश्वास से अनुसार उपर्युक्त सूचना सही तथा पूर्ण है। मैं किन्हीं ऐसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके तहत मैं सरकारी नौकरी में अयोग्य माना/मानी जाऊँ।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

तारीख.....

स्थान.....

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

(i) संविदा पर नियोजित करने वाले प्राधिकारी का नाम, पदनाम तथा पूरा पता

(ii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया गया वह पद, जिस पर संविदा नियोजन हेतु विचार किया जा रहा है।